न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– डॉ.प्रतिभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 14/2019

रामचन्द्र आयु 60 वर्ष पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

..........प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बलोद बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. ओमप्रकाश
3. मोहनलाल
4. रामगोपाल
5. रामेश्वर लाल
6. विधाधर
7. सुरजाराम
8. तहसीलदार एवम सहायक भू अभिलेख अधिकारी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 भू0रा0अधिनियम बाबत संशोधन खाता

उपस्थित अधिवक्ता

श्री भीमसिंह– प्रार्थी
श्री राजेश कुमार– अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर ( )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय

दिनांकः– 07.04.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 643 रकबा 3.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 3.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 727 रकबा 3.79 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.35 हैक्टयर, वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। व 1/2 हिस्सा का खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 है तथा भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.09 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/4 हिस्सा का खातेदार प्रार्थी 1/4 हिस्सा का खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 व 1/2 हिस्सा का खातेदार अप्रार्थी संख्या 02 ता 07 है उक्त भूमियों के खातेदारी के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नहीं है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 एक ही पूर्वज भगवानाराम के बतौर पुत्र उतराधिकारी है भगवानाराम के दो पुत्र प्रार्थी रामचन्द्र व अप्राथी संख्या 01 राजेन्द्र हुए भगवानाराम के अलावा कोई अन्य पुत्र अथवा पुत्री संतान नही हुए। भगवानाराम के चन्द्रभान नामक कोई पुत्र नहीं हुआ।

प्रार्थी के पिता भगवानाराम का स्वर्गवास प्रार्थी की अल्प आयु में ही हो गया था उक्त भूमियों की खातेदारी के अंकन के समय प्रार्थी का नाम सहवन से रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्रभान सर्वथा गलत रुप से दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी रामचन्द्र को कभी भी चन्द्रभान के नाम से न तो जाना पहचाना ही गया है ना उसका नाम कभी चन्द्रभान रहा ही है।

प्रार्थी रामचन्द्र के समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता, आदि में रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम का नाम वैधरुपेण से दर्ज है।

उक्त भूमियो की खातेदारी में प्रार्थी रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्रभान लिखे रहने से उक्त भूमियों की खातेदारी व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजातो में नाम की विभिन्नता होने से प्रार्थी के हक अधिकार आक्रमण ग्रस्त होकर प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए उक्त भूमियों की खातेदारी में दर्ज चन्द्रभान की जग[illegible] का वास्तविक व सही नाम रामचन्द्र संशोधित किया जाना सर्वथा उचित [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रार्थी ने उक्त भूमियों की खातेदारी में चन्द्रभान के स्थान पर रामचन्द्र संशोधित किये जाने हेतु राजस्व अधिकारियों को अनेका बार निवेदन किया परन्तु उन्होने आज तक नाम संशोधित नही किया इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष संस्थित करना आवश्यक हुआ है।

उक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम चन्द्रभान की जगह रामचन्द्र संशोधित किये जाने से किसी भी व्यक्ति के कोई हक अधिकार कुप्रभावित नहीं होगे बल्कि प्रार्थी को उसका वास्तविक नाम संशोधित होने से सुविधा रहेगी।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नंबर 643 रकबा 3.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 3.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 727 रकबा 3.79 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.35 हैक्टयर, वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/2 हिस्सा व भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.09 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/4 हिस्सा का खातेदार प्रार्थी 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी में चन्द्रभान पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बलोद बड़ी के रुप में संशोधित किये जाने का कृपा पूर्ण आदेश प्रदान करे।

मिसल मूर्तिव की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 ता 6 की ओर से श्री राजेश कुमार एड. ने वकालतनामा पेश किया व इकबाली जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3, 7, 8 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज प्रार्थी रामचन्द्र के समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड, मतदाता सूची, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता एवं फर्द मौका रिपोर्ट आदि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम का नाम दर्ज है। बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नंबर 643 रकबा 3.88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 651 रकबा 3.44 हैक्टयर, खसरा नम्बर 727 रकबा 3.79 हैक्टयर, खसरा नम्बर 748 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 750 रकबा 0.35 हैक्टयर, वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/2 हिस्सा व भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 749 रकबा 0.09 हैक्टयर वाके ग्राम बलोद बड़ी के 1/4 हिस्सा का खातेदार प्रार्थी 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी में चन्द्रभान पुत्र भगवानाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम बलोद बड़ी संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार फतेहपुर को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ० प्रतिभा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratibha Dotasra
Date: 2021.07.02 12:27:40 IST
Reason: SelfAttested